झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (भ्रमण) – 05/2021 - 798

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 13.02.2025

विषयः– **आयोग की माननीय सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष द्वारा गढ़वा, पलामू एवं लातेहार जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं के निरीक्षण से संबंधित भ्रमण प्रतिवेदन का प्रेषण।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग की माननीय सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष, श्रीमती शबनम परवीन द्वारा दिनांक–06.01.2025 से दिनांक–09.01.2025 तक गढ़वा, पलामू एवं लातेहार जिलों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा इन जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं–आँगनबाड़ी केन्द्रों, पी0एम0 पोषण योजना एवं जन वितरण प्रणाली का निरीक्षण किया गया। साथ ही इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु इन जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई।

माननीय प्रभारी अध्यक्ष द्वारा किये गये उक्त भ्रमण से संबंधित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

13/2/25

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

F:\Dropbox Files\Anju\Vinod Sir.docx1005

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com

225

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन का दिनांक–06.01.2025 से दिनांक–09.01.2025 तक गढ़वा, पलामू एवं लातेहार जिलों के भ्रमण एवं समीक्षात्मक बैठक से सम्बन्धित प्रतिवेदन।

स्थलीय निरीक्षण

1. **दिनांक–07.01.2025 को गढ़वा जिला के ग्राम–बिजका, प्रखण्ड–भण्डरिया का स्थलीय निरीक्षण।**

- ग्राम–बिजका, प्रखण्ड–भण्डरिया, जिला–गढ़वा के 45 लाभुकों को विगत एक वर्ष से अनाज नहीं मिलने सम्बन्धी आयोग में दर्ज शिकायत के आलोक में वस्तुस्थिति से अवगत होने हेतु आयोग द्वारा उक्त क्षेत्र का स्थलीय जाँच किया गया। लाभुकों द्वारा बताया गया कि पूर्व में वे राशन डीलर, गुलाब स्वयं सहायता समूह से राशन प्राप्त करते थे। राशन डीलर द्वारा राशन वितरण में अनियमितता के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया एवं लाभुकों को बिना सूचना के अन्य राशन डीलर, ईश्वर दयाल यादव के साथ टैग कर दिया गया है, जो उनके क्षेत्र से लगभग 04 कि0मी0 दूर है। लाभुकों द्वारा उनके नजदीकी डीलर, जंगी सिंह के साथ टैग करने एवं बकाया राशन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त क्षेत्र के लाभुकों के साथ बैठक के दौरान आयोग के समक्ष जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा दिखाया गया कि इन 45 लाभुकों को वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में भी एकमुश्त राशन दिये जाने से सम्बन्धित दस्तावेज दिखाया गया। साथ ही कहा गया कि ये लोग ई–पॉस मशीन में अंगूठा नहीं लगाते हैं, जिस कारण इनलोगों का राशन लैप्स कर गया है।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को निर्देश दिया गया कि वे लाभुकों को उनके नजदीकी डीलर, जंगी सिंह के साथ टैग कर बकाया राशन लाभुकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा उपस्थित लाभुकों से कहा गया कि आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में विभाग से पत्राचार किया जायेगा।

2. **पलामू जिला में दिनांक–08.01.2025 को जिले के आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कुपोषण उपचार केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण।**

- आयोग द्वारा करमाही टोला, पंचायत–रेड़मा पश्चिमी, प्रखण्ड–सदर, जिला–पलामू के आंगनबाड़ी केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त केन्द्र में कुल–35 बच्चे नामांकित हैं, किन्तु केवल 20 बच्चों का ही भोजन बनाया गया था। सेविका से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि ठंड के कारण बच्चे देर

से आते हैं या नहीं आते हैं, इसलिये 20 बच्चों का ही भोजन बनाया गया। केन्द्र में पर्याप्त संख्या में बर्तन उपलब्ध नहीं पाया गया एवं कूकिंग गैस के स्थान पर लकड़ी पर भोजन बनाया जा रहा था। इस पर आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सेविका को गैस पर खाना बनाने का निर्देश दिया गया। केन्द्र में बच्चों से पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया उन्हें केन्द्र में समय पर भोजन, नाश्ता एवं अण्डा मिलता है। कुपोषित बच्चों के सम्बन्ध में पूछने पर सेविका द्वारा बताया गया कि वर्ष–2024 में 05–06 बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती कराया गया था एवं वर्तमान में 03 बच्चे कुपोषित हैं, जिन्हें कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती कराया जाएगा।

- आयोग द्वारा पलामू जिले के सदर अस्पताल में अवस्थित कुपोषण उपचार केन्द्र का निरीक्षण किया गया। केन्द्र में जानकारी मिली कि आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती कराया जाता है। कभी–कभी कुपोषण उपचार केन्द्र द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र से संपर्क कर कुपोषित बच्चों को भर्ती कराया जाता है। कुपोषित उपचार केन्द्र में भर्ती बच्चे की माता से पूछने पर जानकारी मिली कि बच्चे के साथ रहने वाली माता को भत्ता के रूप में प्रतिदिन 130/– रू0 की राशि एवं भोजन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं से सम्बन्धित लाभ भी दिलाया जाता है।

3. **लातेहार जिला में दिनांक–09.01.2025 को जिले के आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पी0डी0एस0 दुकान का स्थलीय निरीक्षण।**

- आयोग द्वारा लातेहार जिला के मॉडल आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल केन्द्र, चन्दनडीह–II का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में कुल नामांकित 30 बच्चों में से लगभग 08–10 बच्चे उपस्थित पाये गये। बच्चों के लिये भोजन कूकिंग गैस में बनाया जाता है। निरीक्षण के दौरान केन्द्र में उपस्थित बच्चों द्वारा बताया गया कि उन्हें नाश्ता में हलुवा, भोजन में दाल, चावल, सब्जी एवं कभी–कभी अण्डा मिलता है। अण्डा के सम्बन्ध में पूछने पर सेविका द्वारा बताया गया कि अण्डे की मूल्य बढ़ जाने के कारण प्रतिदिन बच्चों को अण्डा देना संभव नहीं हो पाता है। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सेविका एवं सहायिका को निर्देश दिया गया कि बच्चों के जो अधिकार हैं, वह उन्हें मिलना चाहिए एवं केन्द्र में जितने बच्चे नामांकित हैं, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें। यह भी

निर्देश दिया गया कि मेन्यू के अनुसार बच्चों को नाश्ता एवं भोजन दें। साथ ही नियमानुसार केन्द्र का संचालन करें।

- आयोग द्वारा लातेहार जिला के ग्राम–चन्दनडीह, वार्ड सं0–03 स्थित राशन डीलर, श्री सीताराम पाण्डेय, अनुज्ञप्ति सं0–08/2003 के PDS दुकान का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राशन डीलर नाश्ता कर रहे थे, इसलिये उनका दुकान बन्द था। डीलर द्वारा राशन दुकान खोल कर वितरण सम्बन्धी जानकारी प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या को दी गई।

4. **दिनांक–09.01.2025 को लातेहार जिले के ग्राम–ओरेया, पंचायत–तरवडी, प्रखण्ड–सदर के बिरहोर बस्ती का स्थलीय निरीक्षण।**

- आयोग द्वारा लातेहार जिले के ग्राम–ओरेया, पंचायत–तरवडी, प्रखण्ड–सदर के बिरहोर बस्ती का स्थलीय निरीक्षण कर लाभुकों के बीच राशन वितरण से सम्बन्धित वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई। उपस्थित लाभुकों द्वारा बताया गया कि उन्हें राशन समय पर मिलता है एवं 35 कि0ग्रा0 सीलबन्द बोरे में उपलब्ध कराया जाता है। लाभुकों द्वारा किसी प्रकार की समस्या नहीं होने की बात कही गई।

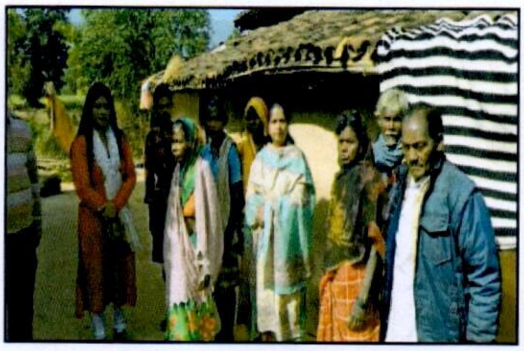

समीक्षात्मक बैठक

5. **गढ़वा जिला में दिनांक–07.01.2025 को अपराह्न 03:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।**

- दिनांक–07.01.2025 को अपराह्न 03:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे गढ़वा जिले के उपायुक्त, अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि ग्राम–बिजका, प्रखण्ड–भण्डरिया, जिला–गढ़वा के 45 लाभुकों को उनके क्षेत्र से 04 कि0मी0 दूर स्थित राशन डीलर, ईश्वर दयाल यादव के साथ टैग कर दिया गया है, जिससे लाभुक काफी परेशान हैं एवं विगत एक वर्ष से अनाज का उठाव नहीं कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में उपायुक्त, गढ़वा को निर्देश दिया गया कि वे अपनी निगरानी में मामले का निपटारा कर आयोग को सूचित करें। बैठक में उपस्थित उपायुक्त, गढ़वा द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को निर्देश दिया गया कि सभी 45 लाभुकों को बुला कर उनकी समस्याओं का निष्पादन करें। इस सम्बन्ध में उपायुक्त, गढ़वा द्वारा सम्बन्धित पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।

6. **पलामू जिला में दिनांक–08.01.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।**

- दिनांक–08.01.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे पलामू जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से

आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।

7. लातेहार जिला में दिनांक–09.01.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।

- दिनांक–09.01.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे लातेहार जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।

❖ **आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा गढ़वा, पलामू एवं लातेहार जिलों में बैठक के दौरान दिये गये प्रमुख निर्देशः–**

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से आच्छादित योजनाओं यथा–जनवितरण प्रणाली, पी0एम0 पोषण, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हुए उपस्थित सभी पदाधिकारियों को उक्त योजनाओं से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सम्बन्धित सभी जिलों के अधिकारियों से अपने–अपने प्रखण्डों में झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के जिला स्तर पर आवंटन की स्थिति, पंचायत स्तर पर राशि की उपलब्धता एवं व्यय के

विवरण से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बताया गया कि राज्य के प्रत्येक पंचायत को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 10,000/– रू0 की राशि आवंटित की जाती है। आकस्मिक खाद्यान्न कोष के अन्तर्गत वैसे व्यक्ति जो गरीब एवं असहाय हैं, स्वयं खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं कर सकते, जिनके सामने भोजन का संकट हो अथवा राशन कार्ड की अहर्ता रखते हुए भी उनके पास राशन कार्ड नहीं है एवं राशन नहीं मिलने के कारण उनके साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना न हो जाए, इस हेतु झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन किया गया है। उक्त कोष के तहत् लाभुक को बाजार दर पर 10 कि0ग्रा0 खाद्यान्न खरीद कर उन्हें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रखण्ड स्तर पर राशि के आवंटन की कमी होने अथवा राशि समाप्त होने पर इसकी सूचना जिले के अधिकारियों को दी जाए। यह राशि कभी खत्म नहीं होने वाली राशि है। प्रत्येक पंचायत में 10,000/– रू0 की राशि उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करें। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को अपने स्तर से समीक्षा करने का निर्देश दिया गया एवं झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित प्रखण्डवार विवरणी की मांग की गई।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बताया गया कि लोगों एवं जनप्रतिनिधियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी नहीं रहती है। ऐसे में उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे इस कोष का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करें। प्रखण्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें जागरूक करें एवं योग्य लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें आकस्मिक खाद्यान्न कोष का लाभ दिलाने में अपनी भूमिका निभाएँ।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान तीनों जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराते हुए निर्देश दिया गया कि वे सभी पदाधिकारियों को शिकायतों की प्रति उपलब्ध करा दें एवं 15 दिनों के अन्दर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन से आयोग को अवगत कराएँ।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों से कहा गया कि रिक्ति नहीं होने के कारण यदि लाभुक का राशन कार्ड नहीं बन पाता है अथवा राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पाता है, तो इससे सम्बन्धित

प्रतिवेदन आयोग को भेजें, ताकि शिकायतकर्ता को अवगत कराते हुए मामले को निष्पादित किया जा सके।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि डीलर बदलने से सम्बन्धित मामले में लाभुकों को बताया जाए कि वे "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" के तहत् किसी भी राशन डीलर से राशन प्राप्त कर सकते हैं।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान जानकारी मिली कि लातेहार जिले के महुवाटांड प्रखण्ड के गोदाम की स्थिति ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा निर्देश दिया गया कि इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन आयोग को भेजें, ताकि आयोग द्वारा विभाग से पत्राचार किया जा सके।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार द्वारा बताया गया कि विभाग से अण्डा के रूप में छह रू0 की राशि मिलती है, जबकि बाजार में अण्डा का दर आठ रू0 चल रहा है, इससे समस्या होती है। इस सम्बन्ध में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा निर्देश दिया गया कि इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन आयोग को भेजें, ताकि आयोग द्वारा विभाग से पत्राचार किया जा सके।

इसके साथ गढ़वा, पलामू एवं लातेहार जिलों का भ्रमण समाप्त हुआ।

27.1.25
(शबनम परवीन)
प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।